प्रेस नोट **31/10/2022**

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित इनामिया (10 हजार) अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना कोपागंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 31.10.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर इटौरा डोरीपुर से थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 182 /22 धारा 3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित इनामिया (10 हजार) अभियुक्त अमरनाथ पुत्र स्वर्गीय हरीश चंद्र निवासी इटौरा डोरीपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में कुल 16 व्यक्ति गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 31.10.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा नरेश चौहान व राममिलन निवासीगण छतरपुर थाना हलधरपुर, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा राहुल, संदीप निवासीगण बरडिहा, मकसूद अहमद व नजामुद्दीन निवासीगण फरीदपुर थाना मुहम्मदाबाद, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अजय व मुकेश निवासीगण अस्तूपुरा थाना दक्षिणटोला, थाना मधुबन पुलिस द्वारा निसार निवासी परशुरामपुर, पंकज व पवन निवासीगण ककराडीह थाना मधुबन, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा सेंचू राजभर व दीपक निवासीगण अमारी थाना सरायलखंसी व थाना कोपागंज पुलिस द्वारा गीता, शकुन्तला व रामकृत निवासीगण इटौरा डोरीपुर थाना कोपागंज मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

मानिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत एक अभियुक्त 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से हुआ दंडित–

मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत आज दिनांक 31.10.2022 को माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो कोर्ट–प्रथम जनपद मऊ द्वारा थाना कोपागंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 693/15 धारा 363,366,376 भादवि0 व 324 पाक्सों एक्ट में दोषी अभियुक्त रामवचन उर्फ परधनवां पुत्र मुन्नू प्रसाद निवासी पारा थाना कोपागंज जनपद मऊ को कारित अपराध के लिये धारा 4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।